

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 223 / 2007 / बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कृष्ण गोपाल
11, आदर्श कॉलोनी, बीकानेर

प्रत्यर्थी

क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 814 / 2007 / बीकानेर

मैसर्स कृष्ण गोपाल
11, आदर्श कॉलोनी, बीकानेर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

अपीलार्थी विभाग की ओर से

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से
निर्णय दिनांक : 08.06.2017

निर्णय

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-डी, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) की ओर से अपील संख्या 223 / 2007 / बीकानेर एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 814 / 2007 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 313 / प्रवेश कर / बीकानेर / 2005-05 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 सपठित दी राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री आफ गुड्स इन टू दी लोकल एरिया एक्ट, 1999 (जिसे आगे प्रवेश कर अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.11.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 11, 12, 34ए एवं 16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2005 के द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है, में से आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2003-04 का कर निर्धारण करते समय पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवहार की आलोच्य अवधि की बिक्री शून्य

६

है किन्तु व्यवहारी ने एस टी 18ए संख्या 1833351 के जरिए हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर कीमतन रू. 37,10,000/-को राज्य के बाहर से खरीद कर आयात किया है। व्यवहारी द्वारा लाये गये उक्त माल से सम्बन्धित घोषणा पत्र एस टी 18ए की डुप्लीकेट प्रति एवं इसका हिसाब एस टी-18ए में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसके न प्रस्तुत किये जाने पर हिसाब प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 77 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। जांच पर यह भी तथ्य सामने आया कि आलोच्य वर्ष में मैसर्स टेलको कन्सट्रक्शन इक्वीपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, धारवाड (कर्नाटक) के इनवाइस संख्या 12501818 दिनांक 28.07.2003 से एक हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर कीमतन रू. 37,10,000/-का आयात किया गया, जो प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु है, जिस पर प्रवेश कर चुकाने का दायित्व व्यवहारी का बनता है, जो नहीं चुकाया गया है, इसलिए करापवंचन पाये जाने के कारण प्रवेश कर अधिनियम की धारा 11,12, 16(2), 17 एवं 35(1)(बी) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया।

उक्त प्रकार से जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2005 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध विभाग की ओर से अपील एवं व्यवहारी की ओर से क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप. राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी ने हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर को प्रवेश कर से मुक्त मानते हुए न तो पंजीयन करवाया एवं ना ही विवरणी पेश कर कर जमा कराया है, जिससे करापवंचन किया जाना प्रमाणित होता है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज उचित है। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा विवरणी पेश नहीं कर करापवंचन किया है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जो अविधिक है। अतः उन्होंने अपील स्वीकार कर शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार कर उसे बहाल करने का निवेदन किया।

व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर की खरीद को अधिसूचना क्रमांक एफ 4(30)एफडी/टैक्स-

५

डि.वी./2002-32 दिनांक 16.04.2002 के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर पेएबल होने की शर्त पर प्रवेश कर से मुक्त रखा है, जिसकी उन्होंने अनदेखी करते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि व्यवहारी प्रवेश कर कानून से अनभिज्ञ था क्योंकि उसके द्वारा रोजाना का दैनिक कार्य बिक्री का है ही सम्पादित कि जाता है एवं इस बाबत उसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 25.11.2005 को स्पष्टीकरण दे दिया गया था, इसलिए कर एवं ब्याज आरोपित करना अनुचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बिन्दु पर क्रास आब्जेक्शन स्वीकार करने का निवेदन किया।

शास्ति के बिन्दु पर उन्होंने बताया कि सम्बन्धित सभी संव्यवहारों को व्यवहारी द्वारा अपनी नियमित लेखा पुस्तकों दर्ज किया हुआ है तथा कर चोरी की कोई मंशा नहीं था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलीय स्तर पर व्यवहारी द्वारा कथन किय गया है कि व्यवहारी प्रवेश कर कानून से अनभिज्ञ था क्योंकि उसके द्वारा रोजाना का दैनिक कार्य बिक्री का ही सम्पादित किया जाता है, साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रकरण में मुख्य रूप से विवादित हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर की खरीद पर कन्साईनर द्वारा कर चुकाया गया है या नहीं अथवा प्रवेश का दायित्व बनता है या नहीं, उसे ज्ञात नहीं है। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि अधिसूचना दिनांक 16.04.2002 की व्याख्या के सम्बन्ध में व्यवहारी स्पष्ट नहीं था इसलिए हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर को प्रवेश कर से मुक्त मानते हुए ना तो पंजीयन करवाया एवं ना ही विवरणी पेश करते हुए राशि जमा कराई है, इसलिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा 16(1)2 एवं (3) पंजीकृत व्यवहारियों पर लागू होती है, इसलिए उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पूर्णतः उचित है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया क्रास आब्जेक्शन अस्वीकार किया जाता है।

॥

जहां तक शास्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर से सम्बन्धित संव्यवहारों को व्यवहारी द्वारा अपनी नियमित लेखा पुस्तकों दर्ज किया हुआ है, जिससे कर चोरी की कोई मंशा प्रमाणित नहीं होती है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील एवं व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया क्रॉस आब्जेक्शन अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य